कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

आदेश

क्रमांक /281/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 06/05/2020

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 470/नि.स./स.स्वा./2020 दिनांक 05.05.2020 के निर्देशानुसार रायपुर जिले में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु Containment Zones में Active Surveillance के लिए श्री अशोक कुमार पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर को जिला स्तर नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपरोक्त परिपत्र में Active Surveillance दल के गठन हेतु भी निर्देशित किया गया है, जो Containment Zones में बुखार, खांसी अथवा सांस में तकलीफ के लक्षणों वाले व्यक्तियों का पता लगाने का कार्य करेगें।

प्रत्येक Active Surveillance दल में न्यूनतम दो सदस्य होंगे। दल सदस्यों का चयन शिक्षकों एवं आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार एवं नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के कर्मियों को भी दल में जोड़ा जा सकता है। दलों को प्रशिक्षण एवं विकासखण्ड/नगर स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने का कार्य जनगणना संचालनालय द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर से कराया जाएगा। मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जनगणना संचालनालय द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा जिला स्तर से Video Conference के माध्यम से कराया जाएगा। उपरोक्त मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य स्तर पर जनगणना संचालनालय से समन्वय कर की जाएगी। उपरोक्त सभी प्रशिक्षण दिनोंक 12/05/2020 तक पूर्ण किए जाएंगे।

प्रत्येक Active Surveillance दल को संबंधित नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जावें। जिला स्तर नोडल अधिकारी की सहायता एवं Active Surveillance दलों के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित मास्टर ट्रेनर्स को नियुक्त किया जाता है :–

1. प्रो. आर.ए.सिद्दिकी, प्राध्यापक, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 9425504284
2. डॉ. महेन्द्र सार्वा, सहायक प्रध्यापक, शासकीय दुधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर मो. 8959816062

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

पृ.क्रमांक /281A/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू/2020 रायपुर, दिनांक 06/05/2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर/बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। समस्त Active Surveillance दल में उपलब्धता अनुसार स्थानीय कोटवार की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री अशोक कुमार पाण्डेय, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, रायपुर एवं नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। दिनांक 12.05.2020 के पूर्व सभी दलों का प्रशिक्षण Video Conference के माध्यम से कराते हुये राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय समस्त, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संबंधित मास्टर ट्रेनर्स दिनांक 08.05.2020 को 03.00 बजे कक्ष क्रमांक 15 एन.आई.सी. में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
14. सर्व संबंधितों को पालनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायपुर

Scanned with CamScanner